न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।

आदेश

अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बच्चन यादव, जो थाना चकिया, जनपद चन्दौली के विद्युत वाद संख्या 181/2017, मु.अप.सं. 367/2016, धारा 138बी विद्युत अधिनियम में निर्गत गैर जमानती वारण्ट को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। कथन किया गया कि कोरोना महामारी की छुट्टियों के कारण तिथि भ्रम हो गया और इसी कारण नियत तिथि पर प्रार्थी न्यायालय उपस्थित नहीं हो पाया और उसके विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र निर्गत हो गया है। अभियुक्त द्वारा जानबुझकर कोई लापरवाही नहीं की गयी है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग देने को तैयार है कि वह प्रत्येक तिथियों पर उपस्थित होता रहेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

सुना, अवलोकित।

अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में पत्रावली साक्ष्य में नियत थी किन्तु अभियुक्त अनुपस्थित था तथा उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत न किये जाने के कारण उसके विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी किया गया। अभियुक्त की ओर से कहा गया कि अभियुक्त द्वारा जानबुझकर कोई गलती नहीं किया गया है बल्कि कोरोना महामारी की छुट्टियों के कारण तिथि भ्रम हो गया और इसी कारण नियत तिथि पर प्रार्थी न्यायालय उपस्थित नहीं हो पाया और उसके विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र निर्गत हो गया है। अवलोकन से यह भी विदित है कि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है तथा अभियुक्त के विरुद्ध उपस्थित न होने के कारण गैर जमानती वारण्ट निर्गत हुआ है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पच्चीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा इस आशय का **आबद्धनामा** कि वह प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष समय से उपस्थित होता रहेगा और न्यायालयीय कार्य में सहयोग देगा, दाखिल करने पर, उसके विरुद्ध जारी जमानती अधिपत्र निरस्त किया जाये।

दिनाँक : 22.03.2021,

(राजेन्द्र सिंह-चतुर्थ)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
चन्दौली।